रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255626
SG-DL-E-22072024-255626

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110
No. 189]	DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946	[N. C. T. D. No. 110

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

फा. सं. 1/आईटीआई (4)/भर्ती नियम/2020/613.—गृहमंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 29.10.2013 की अधिसूचना फा0 सं0 21(69)/आरआर—जी0आई0/2008— प्रशि0प्रा0/875 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व परामर्श से एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में समूह अनुदेशक/सर्वेक्षक/सहायक प्रशिक्षु सलाहकार (कनिश्ठ) के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(i) इन नियमों को समूह अनुदेशक/सर्वेक्षक/सहायक प्रशिक्षु सलाहकार (कनिश्ठ) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यताः**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

भार्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसाकरने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	2	3	4	5
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है
समूह अनुदेशक/सर्वेक्षक/ सहायक प्रशिक्षु सलाहकार (कनिश्ठ)	102* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—7 (44900—142400/—रुपये)	चयन पद

6	7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावे"ान द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
लागू नहीं	लागू नहीं	आयु : लागू नहीं भौक्षिक योग्यता : लागू नहीं	लागू नहीं	**पदोन्नति द्वारा : 100 प्रति"ात** (i) पदोन्नति कोटे में 25 प्रतिशत पद संबंधित ट्रेड/विषय में डिग्री धारकों के लिए आरक्षित होंगे। (ii) पदोन्नति कोटे में शेष 75 प्रतिशत पद फीडर ग्रेड में शेष

				सभी पदाधिकारियों अर्थात संबंधित ट्रेड/विषय में डिग्री धारकों (25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत नहीं आने वाले)/डिप्लोमा /एनटीसी/एसटीसी/एनएसी धारकों पर विचार करके भरे जाएंगे।

11	12	13
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावे" ान द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावे" ान किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
पदोन्नति : नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 में शिल्प अनुदेशकों/तकनीकी सहायकों (कनिश्ठ)/अनुदेशकों (मिलराइट)/अनुदे" ाकों (ड्राइंग)/रखरखाव मैकेनिक्स/ रखरखाव इलेक्ट्रीशियन/कार्यशाला गणना और विज्ञान अनुदेशकों/रोजगार कौशल अनुदे" ाकों में से। **टीपः–1**–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –(अध्यक्ष) 2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव –(सदस्य) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष –(सदस्य) 4. विशेश/अपरसचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –(सदस्य)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एलिस वाज़, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 19th July, 2024

No. F. 1/ITI(4)/RR/2020/613.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of Notification F.No. 21 (69)/RR-G.I./2008-TRG.ADMN./875 dated 29/10/2013 issued by this Government except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Group Instructor/Surveyor/Assistant Apprentice Advisor (Junior) in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:-(i) These rules may be called the Group Instructor/Surveyor/Assistant Apprentice Advisor (Junior) Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:-No person,

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non Selection Post
Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprentice Advisor (Junior)	102* (2024) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	Level-7 (Rs. 44900-142400/-) in the Pay Matrix	Selection Post

6	7	8	9	10
Age limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Not applicable	Not applicable	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable	Not applicable	**By Promotion: 100 Percent** (i) 25 percent of posts in promotion quota will be reserved for Degree holders in concerned Trade/Discipline. (ii) Remaining 75 percent of posts in promotion quota will be filled by considering all remaining incumbents in feeder grades i.e. Degree holders in concerned Trade/Discipline (not covered under 25 percent quota)/Diploma/NTC/

				STC/NAC holders.

11	12	13
In case of recruitment By promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
Promotion: From amongst Craft Instructors/Technical Assistants (Junior)/Instructors (Millwright)/ Instructors (Drawing)/Maintenance Mechanics/ Maintenance Electricians/Workshop Calculation and Science Instructors/Employability Skills Instructors in Level-6 in the Pay Matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	**Departmental Promotion Committee** 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi -(Chairman) 2. Administrative Secretary of the concerned Department -(Member) 3. Head of Department Concerned -(Member) 4. Special/Additional Secretary (GAD), GNCT of Delhi -(Member)	Consultation with Union Public Service ommission not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor of

National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA